2137/29-07-2021

दिनांक–28.07.2021 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक के मुख्य बिन्दुः–

(i) आधुनिक अभिलेखागार भवनः– आधुनिक अभिलेखागार भवन के सम्बन्ध में अनुश्रवण करने के लिए चार श्रेणियाँ बनाई जाएंः–

(i) जहाँ उद्घाटन किया जाना है।
(ii) जहाँ उपकरणों का अधिष्ठापन बाकी है।
(iii) जहाँ पर भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है एवं उपकरणों को क्रय किया जाना है।
(iv) वैसे स्थान जहाँ पर MRR भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है।

सभी MRR के अनुश्रवण के लिए MIS का प्रारूप तैयार किया जाए। MRR में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में सर्वप्रथम उनमें जमाबंदी पंजी की डिजिटाईज्ड प्रति को डाटा इंट्री ऑपरेटर कर्मचारी और अंचलाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ उपलब्ध कराया जाए। MRR से उपलब्ध कराए जाने वाले किसी भी दस्तावेज में किसी भी प्रकार के वैसे परिवर्त्तन जिन पर उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त नहीं किया गया हो, के लिए डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को उत्तरदायी बनाया जाए। आगामी बैठक में अनुपालन प्रतिवेदन के साथ MRR का विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन किया जाए।

(**अनुपालनः**– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

(ii) SS Field Visit:– निदेशालय स्तर से नोडल पदाधिकारियों के माध्यम से किए जाने वाले क्षेत्रीय अनुश्रवण के सम्बन्ध में वैसे विशेष सर्वेक्षण शिविरों का सतत् अनुश्रवण किया जाए। जिलों में चलने वाले विशेष सर्वेक्षण कार्यों का अनुश्रवण नवनियोजित एल0आई0एस0 सलाहकार के माध्यम से कराया जाय। MIS प्रतिवेदन के अनुसार जिन जिलों एवं शिविरों की प्रगति असंतोषजनक है, वहां के जिन कर्मियों द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है, उनके वेतन में "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत पर कटौती की जाए। नोडल पदाधिकारियों के क्षेत्रीय भ्रमण को "परिणाम आधारित" बनाया जाए।

(**अनुपालनः**– एल0आई0एस0 सलाहकार, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

(iii) क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मियों के POP का पुर्ननिर्धारण :– पूर्व में प्रपत्र–5 के संधारण, त्रिसीमाना एवं ग्राम सीमा सत्यापन इत्यादि के आधार पर POP स्कोर की पुर्नसमीक्षा करते हुए प्रारंभिक स्तर पर किए गए कार्यों के शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति करने का निदेश देते हुए किस्तवार एवं खानापुरी प्रक्रिया से सुनवाई प्रारंभ होने तक की प्रक्रिया के आधार पर POP का स्कोर निर्धारित किया जाए।

(**अनुपालनः**– एल0आई0एस0 सलाहकार, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

(iv) RSTI, Gaya:– राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया में भवन निर्माण विभाग के लंबित कार्यों को पूर्ण करने के लिए भवन निर्माण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर सभी कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। RSTI, पटना एवं बोधगया में नियमित छात्रावासों में प्रशिक्षणार्थियों के लिए गीजर लगाने की व्यवस्था की जाय। हॉउस किपिंग के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए हॉउस किपिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(**अनुपालनः**– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

(v) Action on Amin:– नवनियोजित संविदा अमीनों की प्रशिक्षण उपरांत ली गई परीक्षा के आधार पर किये गये स्पष्टीकरण के विरूद्ध जिन अमीनों द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है एवं जिन अमीनों के परीक्षाफल में तकनीकी त्रुटि है, उनकी पुर्नपरीक्षा यथाशीघ्र आयोजित कर ली जाय एवं जिन अमीनों द्वारा स्पष्टीकरण नहीं समर्पित किया गया है, उनकी सेवा समाप्त करने के संबंध में विधिसम्मत् आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

(**अनुपालनः**– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

(vi) <u>नवनियोजित होनेवाले राजस्व पदाधिकारियों का प्रशिक्षण</u> :– नवनियोजित होनेवाले राजस्व पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए पटना एवं बोधगया के अतिरिक्त अन्य प्रमंडलों यथा– सारण, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में प्रशिक्षण देने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का आकलन कर लिया जाय। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम एवं विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर लिया जाय। प्रशिक्षण देने के लिए कार्यरत अंचलाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता एवं अवकाश प्राप्त पदाधिकारियों का चयन कर लिया जाय। साथ ही प्रमंडलीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त कर लिए जाए।

(**अनुपालनः**– संयुक्त सचिव एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(vii) <u>विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के खाली पदों के विरूद्ध नियुक्ति</u> :– वर्त्तमान में विशेष सर्वेक्षण के लिए संविदा आधारित सृजित पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों का आकलन कर उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध नियोजन करने की कार्रवाई करने के संबंध में सारी तैयारियाँ यथाशीघ्र पूर्ण कर खाली पदों को भरना सुनिश्चित किया जाय।

(**अनुपालनः**– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः17–वि0सर्वे0(कार्यवाही)–84/2019....2137....पटना, दिनांक :–29-07-2021

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः17–वि0सर्वे0(कार्यवाही)–84/2019....2137....**पटना, दिनांक** :–29-07-2021

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः17–वि0सर्वे0(कार्यवाही)–84/2019....2137....**पटना, दिनांक** :–29-07-2021

प्रतिलिपिः– एल0आई0एस0 सलाहकार, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः17–वि0सर्वे0(कार्यवाही)–84/2019....2137....**पटना, दिनांक** :–29-07-2021

प्रतिलिपिः– श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक, चकबन्दी निदेशालय/श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:17–वि0सर्वे0(कार्यवाही)–84 / 2019..........2137..........**पटना, दिनांक** :–29-07-2021

प्रतिलिपिः– प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा / प्रभारी, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:17–वि0सर्वे0(कार्यवाही)–84 / 2019..........2137..........**पटना, दिनांक** :–29-07-2021

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप